155

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (बेंच उज्जैन) संभाग उज्जैन

R-296-II/2011

प्रकरण क्र.   /11, निगरानी,

1) विक्रमसिंह पिता रामसिंह, आयु 45 वर्ष,
2) कु. ललीताबाई पिता विक्रमसिंह आयु 22 वर्ष
3) बलवानसिंह पिता विक्रमसिंह, आयु 19 वर्ष
4) देवकरण पिता विक्रमसिंह आयु 18 वर्ष
जाति- राजपूत, व्यवसाय-कृषि एवं गृहकार्य, निवासीगण- ग्राम जादमी, तहसील व जिला शाजापुर
........याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. घीसीबाई पति स्व. रामसिंह
2. बहादुरसिंह पिता स्व. रामसिंह,
3. सोनारसिंह पिता रामसिंह,
समस्त जाति- राजपूत, समस्त निवासीगण- ग्राम जादमी, तहसील व जिला शाजापुर......प्रत्यर्थीगण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. -राजस्व संहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 20-10-2010 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 379/09-10 अपील में पारित से असंतुष्ठ होकर

माननीय महोदय,

प्रार्थी याचिकाकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, ग्राम जादमी में एक कृषि खाता भूमि सर्वे नं. 271, 275, 380, 393 कुलकिता 4 कुल रकबा 1.05 हे. अपीलार्थी के ससुर व प्रत्यर्थी क्र. 1 पति तथा प्रत्यर्थी क्र. 2 व 3 के पिता श्री रामसिंह जी के नाम से थी व श्री रामसिंह जी मृत्यु दिनांक 29-09-05 को हुई थी उन्होंने मृत्यु के पूर्व एक वसीयतनामा याचिकाकर्ता की पत्नि व माता स्व. तेजूबाई पति विक्रमसिंह के पक्ष में उक्त सर्वे नं. की कृषि भूमि के लिए सम्पादित किया था क्योंकि वसीयतग्रहिता के ससुर व उसके पति के पिता स्व.रामसिंह जी अपनी मृत्यु पर्यन्त तक वसीयतग्रहिता के साथ ही रहे व वसीयतग्रहिता व उसके पति ने ही उनकी अच्छी तरह से देखभाल की हैं व सेवा-सुश्रुसा की व उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ही उन्होंने ही यह वसीयतनामा सम्पादित किया था।

2. यह कि, कालान्तर में उनकी मृत्यु के पश्चात् स्व. तेजुबाई ने माह दिसम्बर 2005 में उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपना नामांतरण करवाने हेतु न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय शाजापुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण क्र. 8-अ-6/05-06 पर प्रकरण दर्ज कर उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 28-04-06 को स्व.तेजूबाई का नाम भू-स्वामी के बतौर नामांतरित करने हेतु आदेश पारित किया।

निरन्तर....2

155

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

104

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-296-दो/2011

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 08-11-2011 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	